

संख्या 25/2019

मै.रा.दी.टी

उनवान

बनाम

लक्ष्मी

विलास

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
	<p>उनकी तरफ से कोई उप. नही। ऐसी स्थिति में प्रकरण अफम हाजिरी अफम पैची में खारिज किया जाना इचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रार्थी व उनकी तरफ से कोई भी उप. नही होने से प्रकरण अफम हाजिरी अफम पैची में खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फॅसल शुमार होकर काखिल फप्त रहो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी हथौरगढ़, भीलवाड़ा</p>	